

राजस्थान सरकार
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग

क्रमांक: एफ.2(1603)/सू.प्रौ./संस्था/13/I/11842/2013
कार्यालय आदेश

जयपुर, दिनांक: 30-9-2013

राजस्थान कम्प्यूटर राज्य सेवा के अतिरिक्त निदेशक के पद पर वेतन पी.बी.-3 (15600-39100) (ग्रेड पे-8200) में कार्यभार संभालने की तिथि से 6 माह अथवा सेवानिवृत्ति तिथि या विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा नियमित रूप से चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध होने तक, जो भी पहले हो, तक के लिए निम्नलिखित सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक) को कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र क्रमांक प. 2(1)कार्मिक/क-2/अं.प्र./91 दिनांक 4.6.2008 के अनुसरण में पूर्णतः अविलम्बनिय/अस्थाई आधार पर एतद् द्वारा पदोन्नत किया जाता है:-

1. श्री रश्मिकान्त दवे

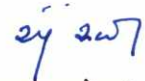
यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त अभ्यर्थी नीचे की श्रेणी (जिसमें पदोन्नति का होना विदित है) उनकी सेवा संवर्ग में उपलब्ध वरिष्ठतम व्यक्ति है, जो कि नियमित पदोन्नति के लिये राजस्थान कम्प्यूटर राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम, 1992 के अन्तर्गत अधिकथित में आवश्यक अर्हताएं और अनुभव में कार्मिक विभाग से एक वर्ष की शिथिलता प्राप्त की जाकर पदोन्नति की पात्रता रखते हैं। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त अभ्यर्थियों को गत पांच वर्षों के दौरान कोई दण्ड अधिनिर्णित नहीं हुआ है और ज्येष्ठतम पात्र कर्मचारी है और इनके विरुद्ध कोई विभागीय जांच विचारधीन नहीं है।

यह पदोन्नति निम्न शर्तों के अधीन की जाती है:-

1. यह पदोन्नति पूर्णतया अस्थाई/अविलम्बनीय आधार पर अग्रिम आदेश होने तक, बिना किसी नियमित पदोन्नति का कोई अधिकार प्रदत्त किये दी जाती है।
2. जिस पद से पदोन्नति दी गई है उस पद पर कभी भी पदावनति की जा सकेगी।
3. इस आवश्यक अस्थाई पदोन्नति से किसी प्रकार की वरिष्ठता का लाभ देय नहीं होगा।
4. इस प्रकार की पदोन्नति से किसी भी उच्च पद पर नियमित पदोन्नति में पात्रता एवं वरिष्ठता संबंधी लाभ भी देय नहीं होगा और वरिष्ठता में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
5. आवश्यक अस्थाई पदोन्नति नियमित पदोन्नति की मांग का आधार नहीं होगी और न ही नियमित पदोन्नति हेतु कोई अधिकार प्रदत्त होगा।
6. आवश्यक अस्थाई पदोन्नतियों केवल नियमित पदोन्नतियों से पदोन्नत राजसेवक उपलब्ध होने तक ही मान्य होगी, इसके उपरान्त इनका अस्तित्व स्वतः ही समाप्त हो जायेगा।
7. इन तदर्थ पदोन्नतियों से आरक्षण कोटा किसी भी तरह प्रभावित नहीं होता है।
8. यदि कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक, अपराधिक अथवा भ्रष्टाचार इत्यादि के प्रकरण में दण्ड अधिनिर्णित हो जाए अथवा न्यायालय द्वारा कर्मचारी के पक्ष में निर्णय पात्रता, दक्षता एवं योग्यता के आधार पर न होकर तकनीकी आधार पर शासन की दृष्टि में माना गया हो और उस निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील करने अथवा विभागीय जांच यथा स्थिति करने का निर्णय सक्षम नियुक्ति प्राधिकारी के आदेश प्रसारित करने की तिथि से समाप्त समझी जायेगी/हो जायेगी।

उक्त पदोन्नति कार्मिक (क-2) विभाग की आई.डी. संख्या 1217 दिनांक 26.09.2013 द्वारा प्राप्त सहमति से की गई है।

राज्यपाल महोदय की आज्ञा से,



(संजय मल्होत्रा)

शासन सचिव एवं आयुक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ/ आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राज. जयपुर।
4. वरिष्ठ निजी सहायक, शासन सचिव एवं आयुक्त, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, जयपुर।
5. संबंधित विभागाध्यक्ष
6. संबंधित अधिकारी।
7. निजी/रक्षित पत्रावली।



(संजय ज. कर्णिक)

एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर (उप निदेशक)
एवं प्रभारी अधिकारी (संस्थापन)

राजस्थान सरकार
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग

क्रमांक: एफ.2(1603)सूप्रौ / संस्था / 13 / **I/11843/2013**

जयपुर, दिनांक: **30-9-2013**

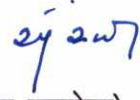
कार्यालय आदेश

राजस्थान कम्प्यूटर राज्य सेवा के निम्नलिखित अधिकारी के स्थानान्तरण / पदस्थापन एतद द्वारा तुरन्त प्रभाव से किये जाते हैं:-

क्र.स.	राजसेवक का नाम	वर्तमान पदस्थापन	नव पदस्थापन	विशेष विवरण
1	श्री रश्मिकांत दवे	सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक), राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग, जयपुर	अतिरिक्त निदेशक सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, जयपुर	आवश्यक अस्थाई पदोन्नति पर (रिक्त पद पर)

उक्त आदेश सक्षम स्तर पर अनुमोदित है।

राज्यपाल महोदया की आज्ञा से,



(संजय मल्होत्रा)
शासन सचिव एवं आयुक्त

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ / आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

- 1 निजी सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय (मंत्री महोदय, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग) जयपुर।
- 2 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, जयपुर।
- 3 वरिष्ठ निजी सहायक, शासन सचिव एवं आयुक्त, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, जयपुर।
- 4 संबंधित विभागाध्यक्ष.....।
- 5 तकनीकी निदेशक / कार्यालयाध्यक्ष, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, जयपुर।
- 6 प्रभारी अधिकारी (वेबसाईट), सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, जयपुर।
- 7 संबंधित अधिकारी को प्रेषित कर लेख है कि तुरन्त प्रभाव से नव पदस्थापन विभाग में कार्यग्रहण कर अद्योहस्ताक्षरकर्ता को सूचित करें साथ ही कार्यग्रहण रिपोर्ट oic.estt@rajasthan.gov.in पर ई-मेल करें।
- 8 निजी / रक्षित पत्रावली।



(संजय ज. कर्णिक)
एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर (उप-निदेशक)
एवं प्रभारी अधिकारी संस्थापन